न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. चन्दोदेवी पत्नी रणजीतसिंह कौम जाट साकिन भिरानी।
2. एसबीबीजे बैंक शाखा डाबडी।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**
निर्णय **दिनांक :** 23.3.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भिरानी के खाता सं0 87 के मु0नं0 185 के किला नं0 18–23 की कुल 1.518 है0 भूमि वर्तमान में चन्दोदेवी पत्नी रणजीतसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा (चिमनी) लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बंद है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा मु0नं0 185 की कुल 1.518 है0 भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी सं0 1 को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आया। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 की जबाबदेही बन्द की गई।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र श्री आरएस चौधरी जाति जाट हाल तहसीलदार भादरा के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 1, नजरी नक्शा प्रदर्श 2, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम भिरानी के खाता सं0 87/339 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को ईन्ट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है। कृषि भूमि में ईंट भट्टे का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी चन्दोदेवी के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादी चन्दोदेवी ने कृषि भूमि के रकबा 1.518 है0 का ईन्ट भट्टा के रूप में बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। प्रतिवादिया सं0 1 वाद भूमि ग्राम भिरानी के खाता सं0 87 के मु0नं0 185 के कुल 4.3010 है0 में सहखातेदार काश्तकार है, जिसमें प्रतिवादिया सं0 1 द्वारा किला नं0 18–23 की कुल 1.518 है0 भूमि पर ईंट भट्टा संचालित कर अकृषि कार्य किया गया है। चूंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है। चूंकि वादी द्वारा अकेले प्रतिवादी के विरूद्ध ही वाद लाया गया है, इसलिए प्रतिवादिया सं0 1 के हक हिस्सा तक वाद साबित है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि ग्राम भिरानी के खाता सं0 87 के मु0नं0 185 के किला नं0 18–23 की कुल 1.518 है0 भूमि में चन्दोदेवी पत्नी रणजीतसिंह कौम जाट साकिन भिरानी के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.3.18. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ